न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 97/2014–15 अन्तर्गत धारा–331 भू0रा0अधि0

1– बशीर अहमद, 2. शमशेर पुत्रगण चन्दू, निवासी–ग्राम तरला नागल , पो0ओ0–कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, 3. ग्राम सभा कुल्हान।

बनाम

1– मुन्नुदीन पुत्र चन्दू, 2. शौकत अली, 3. यासीन, 4. शेर अली, पुत्रगण करीमुद्दीन, निवासी–ग्राम तरला नागल , पो0ओ0–कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, 3. ग्राम सभा कुल्हान।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता निगरानीकर्तागण : श्री एस0के0सुन्दरियाल।
अधिवक्ता उत्तरदातागण : श्री अंकित गुप्ता।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्तागण उपरोक्त द्वारा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी सदर देहरादून द्वारा वाद संख्या–22/2010–11 मुन्नुदीन आदि बनाम शमशेर आदि अन्तर्गत धारा–176 ज0वि0अधि0 में पारित आदेश दिनांक 23–07–2014 के विरूद्ध इस आशय से प्रस्तुत की गई है कि उक्त आदेश प्रतिउत्तरदातागण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 29 नियम–1 सपठित धारा–151 सी0पी0सी0 में मांगे गये अनुतोष के पूर्ण रूप से प्रतिकूल है।

इस निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

प्रतिपक्षीगण/वादीगण द्वारा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी सदर देहरादून के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि खाता संख्या–569 के खसरा नं0 249ट क्षेत्रफल 0.0770 हे0 खसरा संख्या–289ख क्षेत्रफल 0.0360 हे0 स्थित ग्राम तरला नागल परगना परवादून जिला देहरादून के संयुक्त भूमिधर के मध्य मौखिक घरेलू बंटवारे के अनुसार आपसी सहमति से बांट लिया गया था तथा यह तय हुआ था कि आपसी बंटवारे के आधार पर पक्षकारों के हिस्सें में आई भूमि का कब्जा उन्हें सौंप देंगे लेकिन सहमति के बावजूद निगरानीकर्ता–1 व 2/प्रतिवादी संख्या–1 व 2 वादीगणों के हिस्से की भूमि का कब्जा नही दे रहे हैं जिस कारण वादीगण उपरोक्त भूमि का बंटवारा चाहते हैं। विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी सदर देहरादून ने दिनांक 28–02–2011 को वाद दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगणों को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किए। वाद

कार्यवाही गतिमान रहने के मध्य वादीगण द्वारा दिनांक 30–09–2013 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 29– नियम–1 सपठित धारा–151 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत कर विवादित भूमि पर दौराने वाद निगरानीकर्तागण/प्रतिवादी संख्या–1 व 2 को वादी के शांतिपूर्ण अध्यासन में दखलअंदाजी करने से निषेद्ध करने की याचना की गई। इस प्रार्थना पत्र पर दिनांक 23–07–2014 को उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के उपरान्त निम्न आदेश पारित किये गयेः–

" पत्रावली प्रस्तुत पत्रावली पर दिनांक 09–07–2014 को वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर दिनांक 30–09–2013 पर बहस सुनी गई थी प्रार्थी के/वादी के अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया उपरोक्त वाद में विवादित भूमि को क्रय विक्रय/स्वरूप परिवर्तन करने से अग्रिम आदेशों तक पक्षकारों को निषिद्ध किया जाता है पत्रावली दिनांक 12–08–2014 को पेश हो"

उपरोक्त आदेश के विरूद्ध ही वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं अभिलेखों का अवलोकन किया।

यह निगरानी उत्तरदातागण संख्या–1 से 4 /वादीगण के द्वारा अस्थाई व्यादेश हेतु प्रस्तुत आदेश–29 नियम–1 सपठति धारा–151 सी0पी0सी0 पर दोंनो पक्षों को सुनकर पारित अन्तवर्ती/वादकालीन आदेश दिनांक 23–07–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। स्पष्टतः आक्षेपित आदेश एक अन्तर्वर्ती/वादकालीन आदेश है जिसमें परिवर्तन/संशोधन अथवा निरसन का समुचित आधार होने की स्थिति में उसे परिवर्तित, संशोधित अथवा निरसित करने का अधिकार ऐसे आदेश पारित करने वाले न्यायालय को रहता है । वैसे भी आक्षेपित आदेश अग्रिम आदेशों तक के लिए ही पारित किया गया है अर्थात यह नितान्त अस्थाई आदेश है एवं ऐसे आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नही है क्योंकि ऐसे आदेश निर्णीत मामलों (case decided) की श्रेणी में नही आते है तद्नुसार निगरानी इसी आधार पर निरस्त होने योग्य है।

जंहा तक निगरानीकर्तागण– 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क कि अस्थाई व्यादेश प्रार्थना पत्र मे प्रार्थित व्यादेश न पारित कर आक्षेपित आदेश द्वारा विवादित भूमि के क्रय विक्रय/स्वरूप परिवर्तन का अग्रिम आदेशों तक निषिद्ध किये जाने का आदेश पारित किया गया है, का प्रश्न है, यह सही है कि प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में की गई प्रार्थना से भिन्न अस्थाई व्यादेश पारित किया गया है, परन्तु इस तथ्य का संज्ञान परीक्षण न्यायालय को कराया जाना चाहिए था। निगरानीकर्तागण के समक्ष आक्षेपित आदेश के सम्बन्ध में यह विकल्प उपलब्ध था एवं अभी भी है जिसका उपयोग उन्होंने नही किया है अतः इस आधार पर भी निगरानी पोषणीय नही है।

जंहा तक निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस न्यायालय की न्यायिक व्यवस्था 2006 यू0ए0डी0 270 श्रीमती संगीता बिष्ट बनाम भाष्कर प्रकाश सिंह व अन्य

का प्रश्न है जैसा कि पूर्व प्रस्तर में उल्लेख किया जा चुका है कि आलोच्य प्रकरण में की गई प्रार्थना से भिन्न व्यादेश पारित किया गया है अतः तथ्य भिन्न होने के कारण यह न्यायिक व्यवस्था वर्तमान प्रकरण में प्रासंगिक नही है।

आदेश

निगरानी अस्वीकृत की जाती है परन्तु निगरानीकर्तागण द्वारा परीक्षण न्यायालय के आक्षेपित अन्तर्वर्ती आदेश के संशोधन, परिवर्तन अथवा निरसन के सम्बन्ध में कोई सकारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर परीक्षण न्यायालय सुनवाई कर विधिसम्मत आदेश पारित करेगा। उभयपक्ष अवर न्यायालय में दिनांक 29–08–2016 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापस की जाएं।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 12–08–2016 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)